UPMZ010023762023

**न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act ), Muzaffarnagar**

पीठासीन अधिकारी– (KASHIF SHEIKH), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP02680

वाद संख्या–459 / 2023

राज्य बनाम गुरूवचन आदि

मु0अ0सं0–339 / 2020,
धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003,
थाना–एंटी पावर थैफ्ट, जिला–मुजफ्फरनगर।

**30–07–2026**

**निस्तारण प्रार्थना–पत्र**

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत मामले में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण ने उपरोक्त विद्युत शमन–शुल्क जमा करके शमन लेटर विद्युत विभाग से प्राप्त कर लिया है, जो संलग्न है। उपरोक्त आधार पर वाद का निस्तारण करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शमन–पत्र को सत्यापित किया गया है।

विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा शमन–पत्र कागज संख्या–18क / 2 उपरोक्त के सम्बन्ध में जारी किया है, जिसमें कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वांछित शमन धनराशि मय बकाया राशि जमा कर दिया है। शमन–पत्र के आधार पर वाद को निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–ग्रामीण, मुजफ्फरनगर द्वारा उपरोक्त शमन–पत्र जारी किया गया है, जो पत्रावली पर संलग्न है। उक्त शमन–पत्र के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अपराध को समाप्त कर मामले को धारा–152(3) विद्युत अधिनियम के अनुसार दं0प्र0सं0 की धारा–300 के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अतः वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियुक्तगण द्वारा शमन एवं निर्धारण धनराशि जमा कर, शमन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है। इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के मामले में दाखिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत वाद में विद्युत अधिनियम की धारा–152(3) के अन्तर्गत अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के आरोप से उनमोचित किये जाने योग्य है।

**आदेश**

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण शब्दू व गुरूवचन को धारा–152(3) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रशमन होने पर धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के आरोप से उनमोचित किया जाता है। प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम शमन प्रमाण–पत्र के आधार पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(काशिफ शेख)
ID: UP 2680
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4 /
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 30–07–2026

Digitally signed by KASHIF SHEIKH
Date: 2026.07.30 17:13:04 IST
Reason: Bail Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn